न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 7/15
आर.सी.एम.एस. नम्बर – 2014/00043

दायरा दिनांक 05.08.2015

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उनवान

हीरालाल पुत्र गोपाल जाति माली निवासी रानीबडौद तहसील किशनगंज जिला बारां– **प्रार्थी**

बनाम

1. नसीर मोहम्मद पुत्र नूरशाह जाति मुसलमान (फकीर) निवासी रानीबडौद तहसील किशनगंज जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

– अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

श्री राधाबल्लभ नागर, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री सतीश शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी।

प्रार्थना–पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन दिनांक 07.07.2000 आराजी ग्राम रानीबडौद ख.नं. 361 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भू आवंटन नियम 14(4) 1970

निर्णय दिनांक 23.07.2019

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।अप्रार्थी को किया गया आवंटन ग्राम रानीबडौद तहसील किशनगंज ख.नं. 361 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी को किया गया आवंटन अपूर्ण कोरम से व राजस्व कर्मचारियों ने अनदेखी करके किया गया है। उक्त भूमि की किस्म गैरमुमकिन खाल है तथा जो कृषि के लिए नहीं है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी हेल्ड किया गया है गैरमुमकिन खाल, तालाब, गैर मुमकिन नदी किसी के आवंटन योग्य नहीं है तथा ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आवंटन कानून को नजर अन्दाज कर दिया गया जो कि अवैधानिक होने से आवंटन निरस्तीय है। अप्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। अप्रार्थी के पूर्व से ही खाते में 12 बीघा 1 बिस्वा भूमि है जो प्रार्थी ने मिसरिप्रजेन्टेशन कर भूमि का आवंटन करवाया है जो अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी भूमिहीन है।अप्रार्थी के कब्जे काश्त में उक्त भूमि कभी भी नहीं रही जबकि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर काबिज काश्त है तथा आज भी प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास हो जाने के बाद भी प्रार्थी उक्त भूमि पर नियमित रूप से काबिज काश्त है।आवंटित भूमि वक्त आवंटन खाली भूमिहीन थी उक्त भूमि आकोपाईड भूमि की श्रेणी में आती है, आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थी उक्त भूमि को काश्त करता तथा

फसल लेता चला आ रहा है तथा 50 वर्षो से भी अधिक समय से प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इसलिए भी आवंटन निरस्तनीय है।अप्रार्थी ने आवंटन के नियमों की पालना नहीं की गई है तथा भूमि को कभी भी काश्त नहीं किया है इसलिए भी आवंटन निरस्तनीय हैं।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए, कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) ख.नं. 361 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ग्राम रानीबडौद आज दिनांक 07.07.2000 के सम्बन्ध में पेश किया है। उक्त सम्बन्ध में निवेदन है कि आराजी बिना कोरम के आवंटन की गई। आवंटित आराजी गैर मुमकीन खाल है जो **माननीय** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित है। अप्रार्थी, आवंटी भूमिहीन नहीं है 12 बीघा भूमि है। इस भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही रहा, इस भूमि पर पूर्व में प्रार्थी के पिता काबिज थे अब भी प्रार्थी (अपीलान्ट) काबिज हैं। इसके लिए ख.प0. की नकल पेश की है। उक्त भूमि खाली नहीं थी 50 वर्षो से पहले से प्रार्थी अपीलान्ट का कब्जा है। आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई आवंटन निरस्त योग्य है। पटवारी रिपोर्ट में किस्म की जगह खाली रखी है। किस्म का तथ्य छिपाया गया है। रिपोर्ट पटवारी में 12 बीघा खाते में बताई। मौके पर 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर कब्जा नहीं बताया है। प्रार्थी ने सम्मत 2041 के खसरा परिवर्तन की नकल पेश की है। ख.नं. 361 की किस्म में गैरमुमकिन खाल दर्ज है। 2044, 2052 के खसरा परिवर्तन में प्रार्थीगण के नाम काश्त दर्ज हैं। सवम्त् 2045 की जमाबन्दी में ख. नं. 361 गैरमुमकीन खाल दर्ज है।आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। इनके जबाब में में इन्होने 40–50 वर्षो से कब्जा बताया गया है। जबकि पटवारी रिपोर्ट में 1 बीघा 12 बिस्वा पर कब्जा नहीं बताया है। गैरमुमकीन खाल आवंटन योग्य नहीं है। खातेदारी के बाद 14(4) नहीं चलना बताया जबकिअगर नियम विरूद्ध आवंटन है तो कभी भी 14(4) लाया जा सकता है आवंटन निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी अभिभाषक ने बताया कि न्याय प्राप्ति के लिए पहली शर्त है कि प्रार्थी स्वच्छत हाथों से आये ख.नं. 361 का अतिक्रमण का इन्होने कहा कि कब्जा नहीं था जबकि 1995–96 के ख.प. शील में उतना ही कब्जा का क्रम सं. 3 पर मुझ आवंटी रेस्पोडेण्ट का कब्जा दर्ज है। मुझे जितना आवंटन हुआ है, 14(4) का प्रार्थना पत्र खातेदारी मिलने के बाद पेश किया है

आर.आर.डी. 2009 पेज 17 डी.एन.जे. 1995 फर्ट 2, पेज नं 592 एवं आर.आर.डी. 2006 पेज 9 की प्रति प्रस्तुत की गई । जिसके अनुसार खातेदारी मिलने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है, आर.आर.जे. 2010 में कहा है कि कब्जा नहीं हो तो भी आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अब खातेदारी मिलने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता केवल आर.टी. एक्ट में कार्यवाही लाई जा सकती है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्यतन अवलोकन किया। जिससे पाया गया कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि ख.नं. 361 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम रानीबडौद तहसील

किशनगंज की किस्म नकल जमाबन्दी 2025 से 2031 के अनुसार खाल दर्ज होना जाहिर होता है। उक्त भूमि की भूमि वक्त आवंटन किस्म गैर मुमकीन खाल दर्ज थी तथा उक्त भूमि आवंटन के लिए प्रतिबन्धित थी आवंटन आदेश व प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित नहीं है।

चूंकि ख.नं. 361 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी (आवंटी) को खातेदारी दी जा चुकी है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्तों की प्रति के अवलोकन व तर्क से सहमत है कि खातेदारी प्राप्त हो जाने के पश्चात आवंटन नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त किया जाना विधी सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 14(4) खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार किशनगंज को निर्देशित किया जाता है कि ख.नं. 361 ग्राम रानीबडौद की भूमि का पुराने व नये रिकार्ड से परीक्षण करें, परीक्षण उपरान्त ख.नं. 361 की भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि पायी जावे तो उक्त ख.नं. 361 में किये समस्त आवंटन व आवंटियों के विरूद्ध आवंटन निरस्ती हेतु नियमानुसार सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत करें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया ।

(हीरालाल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)